भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1873

उत्तर देने की तारीख 14.12.2023

एमएसएमई क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

1873. **श्रीमती संध्या राय:**

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार के अधीन सांविधिक निकायों और अन्य संबद्ध कार्यालयों द्वारा वर्ष-वार कितने अनुसंधान और विकास कार्यकलाप किए गए हैं;

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र विशेषकर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप लघु उद्यमियों को क्या लाभ हुआ है; और

(घ) ऐसे उद्यमों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए कितनी निधि व्यय की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क): भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को शुरू किया है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) कानिधि-समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबटेर (निधि-आईटीबीआई)कार्यक्रम, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स शामिल हैं।

इनके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ),खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि द्वारा कई परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है।

(ख) से (घ): एमएसएमई मंत्रालय विचारों(आइडिया) के पोषण और विकास के लिए एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत एक घटक, एमएसएमई इनोवेशन(इंक्यूबेशन) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।इस मंत्रालय की एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के इंक्यूबेशन घटक के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान 43.30 करोड़ रु. की स्वीकृत भारत सरकार अनुदान की राशि के साथपोषण और विकास के लिए 533 विचारों को अनुमोदित किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत, एमएसएमई को परामर्श और अनुसंधान एवं विकास प्रदान करने के लिए 10 टूल रूम (टीआर), 8 प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (टीडीसी) कार्यशील हैं। इसके अलावा,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) पूरे भारत में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है, जहां उद्यमियों को अपने विचारों को विपणन योग्य उत्पाद में बदलने में सहायता के लिए अवसंरचना और प्रयोगशाला सुविधाओं के सृजनकी सहायता दी जाती है।

मध्य प्रदेश राज्य में, डीएसटी ने मध्य प्रदेश (म.प्र) में 4 इंक्यूबेटरों को सहायता प्रदान की है, जिनमें से, भोपाल में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (टीबीआई) कार्यक्रम के माध्यम से 2 इंक्यूबेटरों को सहायता प्रदान की गई है और इंदौर में निधि-आईटीबीआई कार्यक्रम के माध्यम से 2 इंक्यूबेटरों को सहायता प्रदान की गई है। अटल इंक्यूबेशन केंद्रो (एआईसी) के अंतर्गत,मध्य प्रदेश (रायसेन और इंदौर) सहित आठ राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में 69 इन्क्यूबेटरों को प्रचालित किया गया है।एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के अंतर्गत, मध्य प्रदेश राज्य में 6 विचारों और 34 मेजबानसंस्थानों (एचआई) को अनुमोदित किया गया है।

*****